[2023/RJJD/018479]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6781/2023

Sethi @ Bhim Singh S/o Surendra, Aged About 22 Years, R/o Gorkhana, Tehsil Nohar, Distt. Hanumangarh.
(At Present Lodged In Sub Jail, Nohar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rakesh Matoria
For Respondent(s)	:	Mr. Arun Kumar, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE MADAN GOPAL VYAS

Order

31/05/2023

प्रार्थी अभियुक्त **सेठी उर्फ भीम सिंह** की ओर से यह जमानत आवेदन धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन पुलिस थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। पत्रावली के पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार पीड़िता ने अपने पुलिस बयानों में यह कथन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। प्रार्थी अभियुक्त पीड़िता को बहला–फुसलाकर नहीं लेकर गया बल्कि पीड़िता स्वयं नोहर से जयपुर बस से आई है। आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थी अभियुक्त

काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी अभियुक्त सेठी उर्फ भीम सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी अभियुक्त **सेठी उर्फ भीम सिंह पुत्र सुरेंद्र** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 96/2022 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(MADAN GOPAL VYAS),J

31-Rajendra/-